CNR No.-UPFR010046122025

Presented on : 14-11-2025
Registered on : 14-11-2025
Decided on : 01-09-2026
Duration : 09 Months 18 days

न्यायालय जिला न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।

उपस्थितः नीरज कुमार .....एच०जे०एस० (JO CODE–UP1907)

सिविल निगरानी संख्या–73/2025

गौरव प्रताप उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम ईजाद नगला, परगना शमशाबाद पूर्व, तहसील सदर, जनपद फर्रुखाबाद।

... ...निगरानीकर्ता/प्रतिवादी

प्रति

1–धीरेन्द्र उम्र लगभग 35 वर्ष
2–रामगोपाल उम्र लगभग 29 वर्ष
3–मनोज कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष
4–मीना देवी उम्र लगभग 63 वर्ष पत्नी स्व०अरविन्द कुमार 'मृतक'
समस्त निवासीगण ग्राम ईजाद नगला परगना शमशाबाद पूर्व तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद।

... ... .उत्तरदातागण/वादीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत सिविल निगरानी, मूलवाद संख्या–259/2018 धीरेन्द्र कुमार आदि प्रति हरी सिंह आदि में विद्वान अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०–07, फर्रुखाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 28.10.2025 के विरुद्ध संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा सर्वे कमीशन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 52 सी2 स्वीकार किया गया है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/उत्तरदातागण द्वारा प्रतिवादी/निगरानीकर्ता के विरुद्ध मूलवाद संख्या 259/2018 स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति के अनुतोष हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र के अंत में वर्णित प्रश्नगत संपत्ति आबादी खसरा सं० 112 रकवा 0.7650 हे० में से 0.006 (डेढ़ डिसमिल) भूमि का पट्टा ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 15.11.2005 को वादी संख्या 1, 2, 3 के पिता और वादिनी संख्या 4 के पति के पक्ष में आबादी का पट्टा किया था। वादीगण के पिता अरविन्द कुमार पट्टे के उपरांत प्रश्नगत आबादी भूमि का बराबर

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.09.01 16:00:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इस्तेमाल अपने जीवनकाल में करते रहे। प्रश्गत आबादी में वादीगण की एक पक्की लेट्रिन बनी हुई है तथा अपने जानवर वादीगण आबादी में बांधते हैं जिसके वादीगण स्वामी है। प्रतिवादी जबरदस्ती वादीगण की भूमि पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 28.05.2018 को प्रतिवादी द्वारा अविधिक कब्जा करने के प्रयास किया गया जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ। तत्क्रम में विचारण न्यायालय में प्रतिवादी/ निगरानीकर्ता उपस्थित हुआ और उसकी तरफ से जबावदावा प्रस्तुत किया गया।

3– दौरान लंबन मूलवाद वादी/उत्तरदाता द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र 52 सी2 इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि वादीगण खसरा सं० 112 में से मात्र 0.006 हे० के पट्टा से विरासतन स्वामी अध्यासीन है। उक्त रकवे से प्रतिवादी का किसी प्रकार से हक या वास्ता नहीं है। प्रतिवादीगण खसरा सं० 112 क/00040 हे० तथा खसरा सं० 112 ख रकवा 0.0240 हे० के स्वामी है तथा 112 ग रकवा 0.7650 हे० गांवसभा की आबादी है। प्रतिवादीगण खसरा सं० 112 क व 112 ख की आड़ में वादीगण व अन्य व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि प्रतिवादीगण 112 क व 112 ख में अपने अंश से अनाधिक जमीन पर तथा गांवसभा की भूमि 112 ग पर भी अनाधिक अंश पर कब्जा किए हुए हैं। खसरा सं० 112 क व 112 ख में प्रतिवादीगण के अलावा अन्य सहखातेदार भी हैं, सभी लग अंश से अधिक पर कब्जा किए हुए है तथा न्यायालय में वाद सं० 464/2017 बृजेश सिंह बनाम हरीबाबू तथा वाद सं० 498/2017 हरी सिंह बनाम बृजेश आदि चल रहे हैं। प्रतिवादीगण की भूमि खसरा सं० 112 क, 112 ख जिसमें प्रतिवादीगण के मकान सहन, टीनशेड आदि बने हुए हैं तथा अंश से अनाधिक भूमि पर कब्जा किए हुए प्रतिवादीगण व उनके सहखातेदारों के मकानात सहन भूमि आदि खसरा सं० 112 क व 112 ख पर बने हुए हैं, के संबंध में स्पष्ट सर्वे आख्या मंगाया जाना अति आवश्यक है कि प्रतिवादीगण की खसरा सं० 112 क व 112 ख जो रकवा संयुक्त है, क्रमशः खसरा सं० 112 क रकवा 0.0040 हे० तथा 112 ख रकवा 0.0240 हे० के संबंध में प्रतिवादीगण व उनके साथ खतौनी में दर्ज अन्य सहखातेदारों के मकानात सहन आदि कितनी जमीन पर बने है, उनके रकवा व मकानात के क्षेत्रफल के संबंध में स्पष्ट सर्वे आख्या मंगाया जाना अति आवश्यक है, अनुरोध किया सर्वे आख्या मंगा ली जाए।

4– प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के विरुद्ध विचारण न्यायालय में आपत्ति का०स० 54 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि कथित वादीगण के पिता अथवा पति के हक में ग्राम सभा ने कोई पट्टा नहीं किया था। वादीगण द्वारा कथित पट्टा एक फर्जी

कागज है। भूमि खसरा नं० 112 मिलजुमल नंबर है इसलिए उसका अलग से सीमांकन किया जाना असंभव है, अनुरोध किया कि वादी का प्रा०पत्र खण्डित किया जाए।

5– विचारण न्यायालय द्वारा प्रा०पत्र 52 सी2 व आपत्ति पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात, दिनांक 28.10.2025 को वादी की तरफ से प्रस्तुत प्रा०पत्र का०स० 52 सी2 स्वीकार किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रतिवादी सं० 2 द्वारा यह सिविल निगरानी योजित की गयी।

6– सिविल निगरानी में, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7– निगरानी में आधार व तर्क लिये गये हैं कि आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध है। वादी द्वारा कथित विरासन प्राप्त पट्टे वाली भूमि के अलावा खसरा सं० 112 क क्षेत्रफल 0.0040 हे० व 112 ख क्षेत्रफल 0.024 हे० में दर्ज सभी प्रतिवादीगण व खतौनियों में दर्ज सभी खातेदारों के मकानात व सहन के संबंध में स्पष्ट सर्वे आख्या मय मानचित्र की सभी व्यक्तियों को मकानात व कितनी भूमि पर टीनशेड बने है, की आख्या हेतु प्रा०पत्र दिया गया। वादी द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में किसी भी सर्वे की कमीशन की मांग नहीं की गयी है। गाटा सं० 112 बहुत बडे क्षेत्रफल की खसरा संख्या है जिसका विभाजन आज तक राजस्व न्यायालय ने नहीं किया है। गाटा सं० 112 के तीन मि०नंबर 112 क क्षेत्रफल 0.0040 हे०, 112 ख क्षेत्रफल 0.024 हे० व 112 ग क्षेत्रफल 0.0765 हे० है, जो गांवसभा प्रतिवादीगण व अन्य के नाम ग्राम के राजस्व अभिलेख में अंकित मि०नंबर है। अब तक स्थल पर अथवा ग्राम के राजस्व अभिलेखों में नक्शा बंदोवस्त व नक्शा लेखपाल में विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण कथित पट्टे वाली आराजी का चिंहित किया जाना संभव नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों व अभिलेखों को नजरअंदाज कर विवादित सम्पत्ति को छोड़कर प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारों के मकानात सहन की सर्वे करने का आदेश पारित कर न्यायिक भूल की है। मि०नंबर के विभाजन की व्यवस्था धारा 30(2) उ०प्र०रा०सं० में दी गयी जिस नक्शा में विभाजन करने का अधिकार केवल जिला कलेक्ट्रेट को है। मि० नंबर के विभाजन के बिना प्रश्नगत सम्पत्ति एवं उसके अन्य सह खातेदारों की भूमि का सर्वे कमीशन किया जाना अवैध है, अनुरोध किया कि निगरानी स्वीकार की जाए।

8– उत्तरदातागण की ओर से निगरानी के विरोध में तर्क रखा गया कि आलोच्य

आदेश विधि सम्मत है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। निगरानी भ्रामक है एवं गलत तथ्यों पर आधारित है, अनुरोध किया कि निगरानी खण्डित की जाए।

9– उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली से विदित है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत प्रार्थनापत्र का०स० 52 सी2 मुख्यतः इस आधार पर दिया था कि प्रतिवादीगण ने खसरा सं० 112 क, 112 ख में अपने अंश से अनाधिक जमीन पर तथा गांवसभा की भूमि 112 ग पर भी अनाधिक अंश पर कब्जा किया है, चूंकि वादीगण खसरा सं० 112 ग में से मात्र 0.006 हे० के पट्टा के विरासतन स्वामी अध्यासीन है एवं उक्त रकवे से प्रतिवादी का किसी प्रकार से हक या वास्ता नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण खसरा सं० 112 क व 112 ख की आड़ में वादीगण व अन्य व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए प्रतिवादीगण की भूमि खसरा सं० 112 क, 112 ख जिसमें प्रतिवादीगण के मकान सहन, टीनशेड आदि बने हुए हैं तथा अंश से अनाधिक भूमि पर कब्जा किए हुए प्रतिवादीगण व उनके सहखातेदारों के मकानात सहन भूमि आदि खसरा सं० 112 क व 112 ख पर बने हुए हैं, के संबंध में स्पष्ट सर्वे आख्या मंगाया जाना अति आवश्यक है। जबकि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी द्वारा सर्वे कमीशन के विरुद्ध मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में किसी भी सर्वे कमीशन की मांग नहीं की गयी है, वास्तव में निगरानीकर्ता/प्रतिवादी विकलांग है तथा उसकी बूढी माँ ही अकेले घर पर रहती हैं इसलिए रात के अंधेरे में वादीगण द्वारा ही प्रतिवादीगण की भूमि पर अवैध कथित लेट्रिन बनाकर फर्जी कूटरचित पट्टा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण की भूमि को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में मामले के सम्यक विधिपूर्ण निस्तारण हेतु सभी सह खातेदारों के बने मकानात व सहन के संबंध में एवं विवादग्रस्त भूमि की सीमाएं एवं सह खातेदारों का पृथक अंश का विवरण आदि मौके की स्थिति पत्रावली पर आना आवश्यक है इसीलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने सर्वे कमीशन कराया जाना स्वीकार किया है एवं सर्वे कमीशन आख्या पत्रावली पर आने से किसी पक्षकार को क्षति होना संभावित नहीं है एवं न ही मात्र सर्वे कमीशन के आधार पर किसी पक्ष को संबंधित भूमि पर मालिक काबिज होने की घोषणा की जा सकती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सर्वे कमीशन मगांया जाना न्यायालय का विवेकाधिकार है एवं अपने विवेकाधिकार का सम्यक प्रयोग विचारण न्यायालय ने किया है। आलोच्य आदेश से न्याय की विफलता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, तदनुसार बलहीन होने के कारण निगरानी खण्डित होने योग्य है।

आदेश

सिविल निगरानी खण्डित की जाती है।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। अभिलेख अविलम्ब नियमानुसार विचारण न्यायालय वापस प्रेषित किया जाए।

दिनांकः 01.09.2026

(नीरज कुमार)
जिला न्यायाधीश, फर्रूखाबाद
JO CODE–UP 1907

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 01.09.2026

(नीरज कुमार)
जिला न्यायाधीश, फर्रूखाबाद
JO CODE–UP 1907